



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218666
CG-DL-W-14032020-218666

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, मार्च 1—मार्च 7, 2020, शनिवार / फाल्गुन 11—फाल्गुन 17, 1941
No. 09] NEW DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का. नि. 45 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम-1973, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाईयों में स्टाफ कार चालक (ग्रेड I), स्टाफ कार

चालक (ग्रेड II), स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) 'समूह ग' अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, स्टाफ कार चालक (ग्रेड I), स्टाफ कार चालक (ग्रेड II), स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) समूह 'ग' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक ग्रेड-1	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर. 5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति - वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500-81100 रु.) के स्तर 4 स्टाफ कार चालक ग्रेड II की श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो या कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह वर्ष संयुक्त सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200रु.) में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में 9 वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट चालक ग्रेड का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.2(19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - (i) मोटर कार के लिए एक विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए ; (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली दोषों को हटाने में सक्षम होना चाहिए) (iii) कम से कम तीन वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव। (iv) 10वी. उर्तीण होना चाहिए। वांछनीय:- (i) होमगार्ड/सिविल स्वयं सेवकों के रूप में 3 साल की सेवा। टिप्पण : सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	1. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा न मिलने पर सीधी भर्ती। 2. सशस्त्र बलों कार्मिक: प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन के लिए।

(11)	(12)	(13)
1. प्रतिनियुक्ति/आमलेन न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं और इनकी इकाइयों में वेतन मैट्रिक्स (18,000-56900 रु.) के स्तर -1 में नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और समूह 'ग' में से ऐसे व्यक्ति जो चालन मोटर कार के लिए	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) निजी सचिव- मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

क्षमता निर्धारण हेतु चालन परीक्षण के आधार पर मोटर के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो जिसके ना हो सकने पर जो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद या समूह 'क' कर्मचारी पदधारी हो जो स्तंभ (7) में यथाविहित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो। 2. सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं में भी विचार किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के पे बन्ध को देख रखा जाएगा जिस तारीख से पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पण:-2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं. डीएफएसएस/38(2)/2015]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) (Group 'C', Non-Gazetted Posts) in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) (Group 'C', Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age -limit, qualification etc. .**— The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver Grade I	03*(2020) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300.)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate Forensic Science Services – Member; (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver Grade II	02*(2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100.)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years' of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	02*(2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200.)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: (i) possession of a valid driving license for driving motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10 th standard from a recognised Board. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	1. Deputation or absorption failing which by direct recruitment. 2. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
1. Deputation or Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group C employees in level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Directorate of Forensic Science Services and its units who possess valid driving license for motor car on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor car failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). 2. Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member; (3) Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. DFSS/38(2)/2015]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

1 k-dk-fu- 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद (हिन्दी अनुदेशक) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हिन्दी अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. 1 f{k l r u k e v k j i k j H k

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद हिन्दी अनुदेशक भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. in 1 i [; k] o x h d j . k] o r u e f v D I e L r j .—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. H k r h i d h i) f r] v k ; & l h e k v k j v g r k , l v k f n .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. f u j g r k .—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. f ' k f k y d j u d h ' k f D r .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. 0 ; k o f i r .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vu|lph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती हेतु आयु—सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हिन्दी अनुदेशक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर - 7 (रु. 44,900 -1,42,400 /-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrrh dh i)fr ॥ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)	ifrfu;fDr (अल्प कालिक सहित) - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघशासित प्रदेश या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों - a) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर - 6 (रु. 35,400-1,12,400/-) या समतुल्य में पांच वर्षीय नियमित सेवा के साथ ; तथा (b) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो - (i) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों या स्वायत्त या कानून संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थान के विद्यालय/महाविद्यालय/विभाग संस्थान में पांच वर्षीय अध्यापक का अनुभव। okNuh; ॥ हिंदी अनुवाद कार्य में अनुभव। fVii.k & 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। fVii.k & 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 23011/59/2018—पीटी]
बी. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 4th March, 2020

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, (Hindi Instructor) post Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Instructor in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hindi Instructor Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hindi Instructor	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial	Level- 7 (Rs. 44,900-1,42,400/-) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not Applicable	By deputation including short-term contract (ISTC).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (ISTC) : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level- 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master's Degree in Hindi from a Recognised University with English as a subject at the degree level. (ii) Five years teaching experience in Hindi at senior secondary level in a School/College/Department Institution of Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution. Desirable:- Experience in Hindi translation work. Note 1. — Period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. — The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of application.	Not applicable	Consultation with UPSC is not necessary

[F.No. 23011/59/2018-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध वार्ड अर्दली/स्ट्रेचर वाहक, आया, पशु परिचारक, चिकित्सा अभिलेख परिचारक, शव परीक्षण सहायक एवं परिचर्या अर्दली के पद से है, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में, हैल्पर, समूह 'घ' भर्ती नियम, 1987 से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या

करने का लोप किया गया है, परिचर्या परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, परिचर्या परिचारक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर्या परिचारक	140* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में

					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन (10वीं) या उसके समकक्ष उत्तीर्ण हो, और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र धारित करता हो। (iii) 50 विस्तरों वाले अस्पताल में, एक वर्ष के अस्पताल कार्य का अनुभव। टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक(प्रशा.), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कार्य देखने वाले उप निदेशक(प्रशा.) - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए.11018/14/2019-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Ward Orderlies/Stretcher Bearer, Ayas, Animal Attendant, Medical Record Attendant, Post-Mortem Attendant and Nursing Orderly and the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi Helper, Group-D Recruitment Rules 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Attendant, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Nursing Attendant (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nursing attendant	140* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories Jammu and Kashmir and Union territories of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) Matriculation (10 th) or equivalent pass from recognised board and (ii) First aid certificate from Central or State Government recognised institution and (iii) One year experience in hospital work in 50 bedded hospitals Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group 'C' Confirmation Committee (for considering Confirmation) Consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director (Admin), Lady Hardinge Medical College. -Member; 3. Deputy Director(Admin) looking after the work of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/14/2019-MH-II]
G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 48 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ') भर्ती नियम, 1979 और (ii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, हेल्पर (लांड्री विभाग) समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध लांड्री प्रचालक और हेल्पर (लांड्री विभाग) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली में लांड्री प्रचालक और हेल्पर (लांड्री विभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली, लांड्री प्रचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लांड्री प्रचालक	19* (2020) लांड्री प्रचालक (11) लांड्री के लिए हेल्पर (8) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या इसके समतुल्य अर्हता; और	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(ii) धोबी के पेशे में, अधिमानतः किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; (ii) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; (iii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन, - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए.11018/45/2019-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R.48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Doctor Ram Manohar Lohia Hospital and Home (Group ‘D’) Recruitment Rules, 1979 and (ii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Helper (Laundry Department) Group ‘D’ post, Recruitment Rules 2006, in so far as they relate to the posts of Laundry Operator and Helper (Laundry Department), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laundry Operator and Helper (Laundry Department) in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Laundry Operator (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications, level in pay matrix.**—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laundry Operator	19* (2020) Laundry Operator (11) Helper for Laundry (8) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. Relaxable for Government servant's up to the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Lahaul, Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board ; and (ii) One year experience in the Dhobi profession preferably in a Government or public sector undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (considering confirmation) consisting of :- (1) Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member; (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member.	Not applicable.

[F.No. A. 11018/45/2019-MH-II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकिरण भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण भेषजज्ञ (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण भेषजज्ञ	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) नोट : आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से नाभिकीय चिकित्सा या नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या कार्बनिक रसायन विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। साथ ही परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, भारत सरकार से सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त चिकित्सा विकिरण और आईसोटोप प्रौद्योगिकी (डीएमआरआईटी) में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- रुपए) के पद पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (2) संबंधित विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (3) उपनिदेशक प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (4) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफ़दरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए. 12018/21/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R. 49.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radio Pharmacist, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Radio pharmacist (Group-‘B’ Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radio Pharmacist	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted Non Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission.	Masters Degree in Nuclear Medicine or Nuclear Medicine Technology from a recognised University, duly recognised by Atomic Energy Regulatory Board, Government of India. Or Degree in Science with Chemistry or Biochemistry or Organic Chemistry as one of the subjects from a recognised University with Diploma in Medical Radiation and Isotope Technology (D M R I T) duly recognised by Atomic Energy regulatory Board, Government of India.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government or Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

		Note: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty –six years as on closing date of the receipt of applications.
--	--	---

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: (1) Additional Medical Superintendent , Safdarjang Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of the concerned Department , Safdarjang hospital -Member; (3) Deputy Director Administration , Safdarjang hospital -Member; (4) Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/21/2016-MH II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 50 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम (वर्ग 'IV') भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ड्रैसर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ड्रैसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ड्रैसर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर व होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ड्रैसर	25* (2020) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में आयु पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य अर्हता, तथा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ 100 बिस्तर वाले अस्पताल में छः माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति में शामिल होंगे: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; - डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य; - डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 11018/49/2019-एम.एच.-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R. 50.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Dresser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Dresser in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Dresser (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications, level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dresser	25* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board, and (ii) First aid certificate from Central or State Government recognised institute having experience of six months in 100 bedded hospitals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee consisting of :- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Head of Department of the concerned Department of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi; -Member (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member	Not applicable.

[F. No. A. 11018/49/2019-MH-II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत में पत्तन और वायु पत्तन स्वास्थ्य संगठन (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध स्वास्थ्य निरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पत्तन, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठनों और थल सीमा संगरोध केन्द्रों में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पत्तन और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठनों, थल सीमा संगरोध केन्द्रों, स्वास्थ्य निरीक्षक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वास्थ्य निरीक्षक	97* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रु.)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक में डिप्लोमा या स्वच्छता स्वास्थ्य निरीक्षक में डिप्लोमा; या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक में डिप्लोमा या स्वच्छता स्वास्थ्य निरीक्षक में डिप्लोमा; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में स्वच्छता कार्य की देखरेख में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की	आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	सीधी भर्ती और प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में पत्तन या विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन के ऐसे स्वास्थ्य सहायक जिन्होंने 18 वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित विषयों में आधारभूत या क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु तीन से चार सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है: - सामान्य स्वच्छता। - वेक्टर पर्यवेक्षण और नियंत्रण उपाय। - विमान कीटनाशन, चूहा नाशन। - यात्रियों, माल, वाहनों की विसंदूषण प्रक्रिया। - खाद्य और जल सुरक्षा और - पोत स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पोत स्वच्छता हेतु निरीक्षण प्रक्रिया, आदि। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): - केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - संबंधित उपमहानिदेशक - अध्यक्ष; - संबंधित सहायक महानिदेशक या उप सहायक महानिदेशक - सदस्य; - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - संबंधित उपमहानिदेशक - अध्यक्ष; - संबंधित सहायक महानिदेशक या उप सहायक महानिदेशक - सदस्य; - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

किया है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रुपए) या समतुल्य पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--

[फा. सं. ए-12011/1/2016-पीएच (आईएच)]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

(Department of Health and Family Welfare)

(DIRECTORATE OF GENERAL HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 28th February, 2020

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Port and Airport Health Organisations in India (Group B.) Recruitment Rules, 2003 in so far as it relates to post of Health Inspector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Health Inspector in the Port, Airport Health Organisations and Land Border Quarantine Centers under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Port and Airport Health Organisations, Land Border Quarantine Centres, Health Inspector (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of the recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Health Inspector	97* (2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Services, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)	Selection	Not exceeding thirty years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: A. (i) Bachelor Degree in any discipline from any recognised University or institute; (ii) Diploma in Sanitary Inspector or diploma in Health Inspector or diploma in Sanitary Health	Age: No. Education Qualifications: No, but must possess at least 12 th Pass from a recognised Board.	Two years for direct recruits and promotees.	25 percent by promotion. 75 percent by deputation (including Short-Term Contract) failing which by direct recruitment.

Inspector from a recognised Board or University; Or B. (i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or institute. (ii) Diploma in Sanitary Inspector or diploma in Health Inspector or diploma in Sanitary Health Inspector from a recognised Board or University; (iii) Two years experience in dealing with Sanitisation works in any recognised organisation. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of Selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(11)	(12)	(13)
Promotion: Health Assistant belonging to Port or Airport Health Organisation in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eighteen years of regular service and successful completion of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - 1. Deputy Director General concerned – Chairman; 2. Assistant Director General or Deputy Assistant Director General concerned – Member; 3. Under Secretary concerned in the Ministry of	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

following mandatory training programme of three to four weeks duration to be conducted for imparting basic or field training on: - (i) General sanitation. (ii) Vector Surveillance and control measures. (iii) Aircraft disinsection, Deratting. (iv) Decontamination procedures for travelers, cargo, conveyances. (v) Food and water safety and (vi) Inspection procedures of ship sanitation for issuance of Ship Sanitation Control Certificate, etc. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotions, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including Short-Term Contract): (i) Officers under the Central or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or (ii) with six years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200 – 92,300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of	Health and Family Welfare – Member. Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - 1. Deputy Director General concerned – Chairman; 2. Assistant Director General or Deputy Assistant Director General concerned – Member; 3. Under Secretary concerned in the Ministry of Health and Family Welfare – Member.	
--	---	--

the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F.No. A-12011/1/2016-PH (IH)]
LAV AGARWAL, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में फिज़ियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, फिज़ियोथेरेपिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिज़ियोथेरेपिस्ट	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान से फिज़ियोथेरेपी में स्नातक डिग्री, (ii) कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या किसी निजी अस्पताल से फिज़ियोथेरेपी में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी शाखा में फिज़ियोथेरेपी में मास्टर डिग्री। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी – क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29200-92300/- रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सम्मिलित है, की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं.ए.12018/01/2019-एम एच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Physiotherapist (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapist	1 *(2020) *subject to variation on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the central government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshdweep.	Essential: (i) Bachelor degree in Physiotherapy from Government recognised University or Institute. (ii) Two years experience in Physiotherapy from a Government Hospital or Private Hospital with at least hundred beds. Desirable:- Master degree in Physiotherapy in any branch from a recognized University or Institute. Note : Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age : Not applicable. Educational Qualification : Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory organisations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institutes:- A.(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level -5 (Rs 29200-92300)/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column number (7). Note: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age -limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) comprising of : 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge medical College -Chairman; 2. Head Of the Department of the Concerned Dept. in the Lady Hardinge medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director Admin in Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/01/2019-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 53 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी

विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार) भर्ती नियम 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार)	181* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	अर्हता: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा या यांत्रिक या सिविल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा, और अनुभव: (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या

					निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कोई कानूनी या स्वायत्त संगठन से ड्रिल्लिंग रिगों के प्रचालन और अनुरक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलेन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक वेधक-सह-मैकेनिक (अतिकुशल ग्रेड-1) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300रु.) में उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रशिक्षण: केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से दो सप्ताह का जलकूप सन्निर्माण तकनीकों और उपस्कर स्तर-1 में प्रशिक्षण। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 3. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 3. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 23/02/2014/सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 14th February, 2020

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman) in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman)	181* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff	Qualification: (i) Diploma in Drilling or Mechanical or Civil or Automobile Engineering from a recognised University or Institute, and Experience: (ii) At least three years experience	No	Two years

Selection Commission.	in operation and maintenance of drilling rigs from Central or State Government or Union territory Administration or recognised any University or Institute or Public Sector Undertaking or any Statutory or Autonomous Organisation.		
Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
30 % by promotion. 70 % by direct recruitment.	Promotion: Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-I) (Level-5 (Rs.29200-92300/-) in pay matrix with six years regular service in the grade. Training: Two weeks training in Water Well Construction techniques and equipment-Level-I at Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur. Note - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board –Member. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.23/02/2014/CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 54 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस, श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 भर्ती नियम, 1992 को, जहां तक इनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-1 और नक्शानवीस श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2020 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नक्शानवीस	62 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-112400 रु.)	चयन पद	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस (सिविल) या नक्शानवीस (मैकेनिकल) में 3 वर्ष का डिप्लोमा। अनुभव: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी या स्वशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सूचीबद्ध प्राइवेट संगठन से नक्शानवीस (सिविल) या नक्शानवीस (मैकेनिकल) में 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता

					(अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती, प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	2% प्रोन्नति द्वारा और 98% सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे नक्शानवीस श्रेणी-III जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-31012/15/2017/जी.डबल्यू.ई.]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 2020

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Draftsman Grade-I, Grade-II and Grade-III Recruitment Rules, 1992, in so far as they relate to the posts of Draftsman Grade-I and Draftsman Grade-II except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Draftsman) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draftsman	62*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400/-)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Essential:- Three years Diploma in Draftsman (Civil) or Draftsman (Mechanical) from a recognised Institute. Experience: Two years experience in the line i.e. Draftsman (Civil) or Draftsman (Mechanical) from the Central Government or the State Government or Union territory or Statutory or Autonomous	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees.

	Organisation Or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institute or Listed Private Organisation. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them.		
--	---	--	--

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
2 percent by promotion and 98 percent by direct recruitment.	Promotion: Draftsman Grade III in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the areas as specified by the competent authority from time to time.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No.A.31012/15/2017/GWE]
S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 55 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र, (एनडब्ल्यूआईसी) में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधीनस्थ राष्ट्रीय जल सूचना विभाग केंद्र समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या **विवाह की संविदा की है; या**

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या **विवाह की संविदा की है।**

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके**, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना उपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र	2*(2019)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, सूचक 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति/ प्रतिनिक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/ प्रतिनिक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो कि निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या विद्युत या यान्त्रिकी में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या जलविज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री; और (ii) जल संसाधन विषयों या भू-जल के क्षेत्र में उसकी जांच या योजना या डिजाइन या निष्पादन प्रचालन और अनुरक्षण का या भू-सूचना विज्ञान प्रणाली या डाटा प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव। टिप्पणः प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निदेशक, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र	3* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह 'क' राजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700 रू.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर – 10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल विद्युत या यान्त्रिकी

में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी स्नातक;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या जलविज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री; और

(i) जल संसाधन विषयों या भू-जल के क्षेत्र में उसकी जांच या योजना या डिजाइन या निष्पादन प्रचालन और अनुरक्षण का या भू-सूचना विज्ञान प्रणाली या डाटा प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र	4* (2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पद्धति: प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (53100-167800 रु.) या वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47600-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या विद्युत या यान्त्रिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-सूचना विज्ञान या जलविज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री; और (ii) जल संसाधन विषयों या भू-जल के क्षेत्र में उसकी जांच या योजना या डिजाइन या निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण का या भू-सूचना विज्ञान प्रणाली या डाटा प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 72020/1/2016-एनएचपी-प्रशा.(भाग-1)]

ए.के. कौशिक, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, National Water Informatics Centre (NWIC), a Subordinate Office in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. **Short title and commencement.**—

(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, National Water Informatics Centre, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Numbers of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Joint Director, National Water Informatics Centre	2(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 12 in the Pay Matrix (Rs78800-209200)	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By deputation including Short Term Contract	Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government, State Governments or Union Territories, autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertakings/Universities or recognized research Institutions: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in the field of Computer Science/Information Technology or Electronics or Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognized university or institute; or Masters Degree in Geology or Applied Geology or Hydrology or Geo informatics or Computer Applications from a recognized university or institute with Bachelor degree in Science from a recognized University or institute; and (ii) seven years experience in the field of investigation or planning or design or execution, operation and maintenance of water resources subjects or ground water or in the field of Geo-informatics systems or Data Management or Administration. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Director, National Water Informatics Centre	3(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 11 in the Pay Matrix (Rs 67700-208700)	Not Applicable

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By deputation including Short Term Contract	Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government, State Governments or Union Territories, autonomous or statutory organizations or Public Service Undertakings/Universities or recognized research Institutions: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level-10 in the Pay Matrix (Rs 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in the field of Computer Science/Information Technology or Electronics/Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognized university or institute; or Masters Degree in Geology or Applied Geology or Hydrology or Geo informatics or Computer Applications from a recognized University or institute with Bachelor degree in Science from a recognized University or institute; and (ii) five years experience in the field of investigation or planning or design or execution, operation and maintenance of water resources subjects or ground water or in the field of Geo-informatics systems or Data Management or Administration. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Director, National Water Informatics Centre	4(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 10 in the Pay Matrix (Rs 56100-177500)	Not Applicable

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Method: By deputation including Short Term Contract	Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government, State Governments or Union Territories autonomous or statutory organizations or Public Service Undertakings/Universities or recognized research Institutions: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with Two years regular service in Level-9 (Rs. 53100-167800) or Level-8 (Rs. 47600-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in the field of Computer Science or Information Technology or Electronics or Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognized university or institute; or Masters Degree in Geology or Applied Geology or Hydrology or Geo informatics or

		Computer Applications from a recognized university or institute with Bachelor degree in Science from a recognized university or institute; and (ii) three years experience in the field of investigation or planning or design or execution, operation and maintenance of water resources subjects or ground water or in the field of Geo-informatics systems or Data Management or Administration. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

[F.No. 72020/1/2016-NHP-Admn. (Pt.-1)]

A.K. KAUSHIK, Under Secy.

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 56 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजकीय केन्द्रीय शिल्प संस्थान (महिला), चंडीगढ़ सेवा (समूह 'ख') भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), चंडीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), चंडीगढ़ (प्रधानाचार्य) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधानाचार्य	01* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	वेतन पट्टा-4, रु.15600-39100/- जमा ग्रेड वेतन रु.6600/-	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वर्ग अनुदेशक, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी इन्जिनियरिंग या प्रौद्योगिकी शाखा में स्नातक या डिप्लोमा हो और जो वेतनमान श्रेणी रु. 10300-34800/- जमा ग्रेड वेतन रु. 4800/- में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष से सेवारत है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल पाठ्यक्रम पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. सचिव, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य 3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — अध्यक्ष 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य 3. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ — सदस्य।	प्रोन्नति के लिए तथा जब कभी किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध) द्वारा नियुक्त करना हो, तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक अनुबंध सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या केन्द्र शासित संघ राज्यों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जो वेतन पट्टा -10 (रु.15600-39100/- जमा ग्रेड वेतन 5400 रु. या इसके समकक्ष वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष से सेवारत हैं; और

(ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:

(I) किसी भी इन्जिनियरिंग या प्रौद्योगिकी शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि।

(II) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर कक्षाओं के प्रत्यायन विभाग या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल में प्रमाण-पत्र।

(III) शिक्षण या अनुसंधान उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
--	--	--

[फा.सं. डीजीटी-टीसीडी 022/1/2017-ओ०/ओ० डीडी(टीसी)]

रवि चिलुकोटी, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Central Crafts Institute for Women, Chandigarh Service (Group B) Recruitment Rules 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal in the Government Industrial Training Institute for Women, Chandigarh, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government Industrial Training Institute for Women, Chandigarh (Principal) –Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale and level in pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, economically weaker section, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal	01* (2020) Subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'A'	Pay band-4, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion, failing which by deputation including short - term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Group Instructor possessing degree or diploma in any branch of Engineering or Technology from a recognized University or Institute in the pay scale of Rs.10300-34800 plus grade pay of Rs. 4800/- with six years of regular service in the grade and having successfully completed Information and Communication Technologies skills training course as per instructions issued by the Chandigarh administration from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract): Officers of Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organizations or recognized universities or recognized research institutions: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-10 (Rs. 15600-39100 plus grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration - Member 3. Director, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration -Chairman 2. Director, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration - Member 3. Principal, Government Polytechnic for Women, Union Territory of Chandigarh - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for promotion and while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised University or Institute. (ii) Information and Communication Technologies skills certificate from a recognised Institute or Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes or National Institute of Electronics and Information Technology. (iii) Five years' experience in Teaching or Research Industry or Training Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--

[F. No. DGT-TCO 022/1/2017-O/o DD(TC)]
RAVI CHILUKOTI, Jt. Director

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 57.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ (प्रधानाचार्य) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन पट्टा और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधानाचार्य	01* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क'।	वेतन पट्टा-4, रु.15600-39100/- जमा ग्रेड वेतन रु.6600/-	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वर्ग अनुदेशक, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी इन्जिनियरिंग या प्रौद्योगिकी शाखा में स्नातक या डिप्लोमा हो और जो वेतनमान श्रेणी रु. 10300-34800/- जमा ग्रेड वेतन रु. 4800/- में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष से सेवारत है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल पाठ्यक्रम पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या केन्द्र शासित संघ राज्यों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जो वेतन पट्टा -10 (रु.15600-39100/- जमा ग्रेड वेतन 5400 रु० या इसके समकक्ष वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष से सेवारत हैं; और (ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (I) किसी भी इन्जिनियरिंग या प्रौद्योगिकी शाखा में किसी भी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य 3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — अध्यक्ष 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य 3. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ —सदस्य।	प्रोन्नति के लिए तथा जब कभी किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध) द्वारा नियुक्त करना हो, तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। (II) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर कक्षाओं के प्रत्यायन विभाग या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल में प्रमाण-पत्र। (III) शिक्षण या अनुसंधान उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. डीजीटी-टीसीडी 022/1/2017-ओ०/ओ० डीडी(टीसी)]

रवि चिलुकोटी, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 57.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment Industrial Training Institute, Chandigarh (Principal) Recruitment Rules 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal in the Government Industrial Training Institute, Chandigarh, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government Industrial Training Institute, Chandigarh (Principal) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, economically weaker section, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal	01* (2020) Subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'A'	Pay band-4, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion, failing which by deputation including short - term contract

In case of recruitment, by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Group Instructor possessing degree or diploma in any branch of Engineering or Technology from a recognised University or Institute in the pay scale of Rs.10300-34800 plus grade pay of Rs. 4800/- with six years of regular service in the grade and having successfully completed Information and Communication Technologies skills training course as per instructions issued by the Chandigarh administration from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration - Member 3. Director, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary Technical Education, Union Territory of Chandigarh	Consultation with Union Public Service Commission necessary for promotion and while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract): Officers of Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organizations or recognised universities or recognised research institutions: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-10 (Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised University or Institute. (ii) Information and Communication Technologies skills certificate from a recognised Institute or Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes or National Institute of Electronics and Information Technology. (iii) Five years' experience in Teaching or Research Industry or Training Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation	Administration— Chairman 2. Director, Technical Education, Union Territory of Chandigarh Administration — Member 3. Principal, Government Polytechnic for Women, Union Territory of Chandigarh— Member.	
--	--	--

(including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--

[F. No. DGT-TCDD 022/1/2017-O/o DD(TC)]
RAVI CHILUKOTI, Jt. Director

नागर विमानन मंत्रालय
(नागर विमानन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

सा.का.नि. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, खतरनाक माल निरीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश कराते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय में वरिष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक और खतरनाक माल निरीक्षक के समूह 'क' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, वरिष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक और खतरनाक माल निरीक्षक समूह 'क' भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर आदि .— पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां तक केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वरिष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक।	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित।	स्तर-12 (रु.78800-209200/-)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) में खतरनाक माल निरीक्षक की नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में उक्त पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; (ii) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय- सदस्य; (iii) महानिदेशक, नागर विमानन- सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- आवश्यक:- (i) किसी भी विषय में डिग्री; (ii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगम (आईएटीए) द्वारा सम्यक अनुमोदित श्रेणी-6 खतरनाक माल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। अनुभव:- निम्नानुसार कुल दस वर्ष का अनुभव: (i) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्थान के खतरनाक माल निरीक्षक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; (ii) अनुसूचित प्रचालनों में एयर कार्गो को संभालने का पाँच वर्ष का अनुभव।		
--	--	--

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी; जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. खतरनाक माल निरीक्षक	3* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67700-208700/- रुपये)	लागू नहीं

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक:- (i) किसी भी विषय में डिग्री। (ii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगम (आईएटीए) द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित श्रेणी-6 खतरनाक माल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। अनुभव:- निम्नानुसार सात वर्ष का कुल अनुभव:-	लागू नहीं होता	अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के अधीन दो वर्ष। प्रशिक्षण: नवनियुक्त अधिकारियों को संगठन, उसके विजन तथा मिशन की सामान्य जानकारी देने और उनके कार्य के लिए अपेक्षित कार्य निष्पादन की आवश्यक सक्षमता प्राप्त करने के लिए कम से कम दो सप्ताहों का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रारंभिक प्रवेश प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, नव-नियुक्त अधिकारियों को	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स, स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) में उस

	(i) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान के खतरनाक माल निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव (ii) अनुसूचित प्रचालनों में एयर कार्गो को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।	पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पुष्टीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (i) महानिदेशक, नागर विमानन -अध्यक्ष; (ii) निदेशक या उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(iii) संयुक्त अथवा उप महानिदेशक, नागर विमानन -सदस्य; (iv) निदेशक (वित्त अथवा प्रशासन), नागर विमानन महानिदेशालय- सदस्य।	
--	---	--

[फा.सं.ए.-12018/15/2018-भर्ती सेल]

सुनील कुमार अदलखा, उप निदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi, the 4th March, 2020

G.S.R. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Dangerous Goods Inspector (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2012 in so far as they relate to the post of Dangerous Goods Inspector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'A' posts of Senior Dangerous Goods Inspector and Dangerous Goods Inspector in Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Group 'A' posts of Senior Dangerous Goods Inspector and Dangerous Goods Inspector, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Dangerous Goods Inspector.	1 *(2020) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Dangerous Goods Inspector in the level-11 (Rs. 67700-208700/-) of the pay matrix with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the competent authority from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; (ii) Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; (iii) Director General of Civil Aviation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an Officer on deputation (including short-term contract).

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-11 (Rs. 67700-208700/-) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential:- (i) a degree in any discipline. (ii) having undergone a Category-6 Dangerous Goods training course duly approved by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) or International Civil Aviation Organisation (ICAO) or International Air Transport Association (IATA). Experience:- Total experience of ten years as under: (i) five years' experience as Dangerous Goods Instructor of a training organisation approved by Directorate General of Civil Aviation. (ii) five years' experience in handling of air cargo in scheduled operations. Note 1: The Departmental Officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four		
---	--	--

years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Dangerous Goods Inspector	3 *(2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding forty years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential:- (i) a degree in any discipline. (ii) having undergone a Category-6 Dangerous Goods training course duly approved by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) or International Civil Aviation Organisation (ICAO) or International Air Transport Association (IATA). Experience:- Total experience of seven years as under: (i) two years' experience as Dangerous Goods Instructor of a training organisation approved by Directorate General of Civil Aviation. (ii) five years' experience in handling of air cargo in scheduled operations. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable	Two years subject to successful completion of mandatory induction training. Training:- The newly inducted officers shall be provided an induction training for a period of minimum two weeks to enable officers to get a general understanding about the organisation, its vision and mission and acquire necessary competency required for performing their job. After completion of initial induction training, the newly inducted officers will be provided on the job training to enable them to handle their responsibility independently.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in posts in level-10 (Rs. 56100-177500/-) of the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not

	Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	---	--	--	---

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director General of Civil Aviation - Chairperson; (ii) Director or Deputy Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; (iii) Joint or Deputy Director General of Civil Aviation - Member; (iv) Director (Finance or Administration), Directorate General of Civil Aviation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/15/2018 – R. Cell]
SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (7) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष, प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तरों	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय सूचना अधिकारी	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति]		

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां तो, उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा प्रोन्नति] केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था अथवा स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर सात (रु. 44900-142400) पद पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् की गई उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य; और (ख) शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव निम्नानुसार धारित करता हो:- आवश्यक:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि (ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय	समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे: 1. सचिव - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव - सदस्य	मिश्रित पद्धति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (3) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत करने का एक वर्ष का अनुभव। (4) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित विषयों में कार्य करने का एक वर्ष का वृत्तिक अनुभव। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी इस ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि विभागीय अभ्यर्थी उस पद के लिए नियुक्ति हेतु चयनित किया जाता है, तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुए माना जाएगा। टिप्पण 2 : इस नियुक्ति के तत्काल पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग ने धारित पद दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर लघु संविधा सहित प्रतिनियुक्ति अवधि सहित लघु संविदा सहित प्रतिनियुक्ति साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविधा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Library and Information Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (7) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer	1* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotes	By composite method [deputation (including short-term contract) or promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous Bodies or	Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Secretary – Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) – Member; 3. Director or Deputy Secretary – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while filling the post by composite

Statutory Organisation,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below :- Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (ii) Five years professional experience in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: (1) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute (2) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute (3) One year experience of computerising Library activities in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. (4) One year professional experience in dealing with subjects relating to the Ministry of Corporate Affairs Note 1: The Departmental Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix with seven years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders and if the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation including short-term contract including the period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post		method.
---	--	---------

held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F.No. A-15011/2/2012-Ad.I]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि.60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी कार्य प्रशासन विभाग (समूह क, ख और ग पद) भर्ती नियम, 1962, जहां तक ये नियम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के सिवाय कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अ-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2019) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा स्वायत्तशासी निकायों अथवा कानूनी संगठनों के वे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हों, अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स (35400 रुपये-112400 रुपये) में स्तर-6 अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :- आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि (ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1 : ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में विभागीय पुस्तकालय सूचना सहायक और प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले पर बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर नियुक्ति हेतु यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.1]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Company Law Administration (Group A, B and C Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Assistant Library and Information Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library and Information Officer	1*(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs. 44900-142400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method [deputation (including short-term contract) or promotion].

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) or promotion : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisations, – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level-6 in pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below :- Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (ii) Two years professional experience in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research or Educational Institution. Desirable Qualifications: (1) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (2) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1: The Departmental Library Information Assistant in level-6 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders and If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary .

[F. No. A-15011/2/2012-Ad.I]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक ये सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2019) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक न हो। टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु सीमा के अवधारित के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से

					आवेदन करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिले और चम्बा जिले का पंगी उप-प्रभाग, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। अनुभव: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा को शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1: पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किन्हीं परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि पर अनुपस्थित होने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के सहरा पदों पर नियमित आधार पर धारण करते हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में या विभाग में हुए नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की आयु-सीमा आदेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हाँ, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति में निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन-I) - सदस्य; 3 अवर सचिव (प्रशासन-II) -सदस्य; 4 अवर सचिव (सतर्कता) -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.।]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Company Affairs, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Assistant Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant.	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information science from a recognized University or Institute. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Experience: Two years professional experience in a Library under the Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research or Educational Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt

recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			of applications.
---	--	--	------------------

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Director or Deputy Secretary (Administration) -Chairman; 2. Under Secretary (Administration-I) - Member; 3. Under Secretary (Administration-II) - Member; 4. Under Secretary (Vigilance) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-15011/2/2012-Ad.I]
 GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.